

पशुपालन प्रभाग

राज्य योजना (चालू योजना)

1. समेकित कुक्कुट विकास (AA) - उक्त योजना अण्डा एवं मांस उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका को समर्थन देने तथा महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

1.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखंड महिला पोल्ट्री सहकारी संघ लिमिटेड के सहयोग से पशुपालन विभाग ने राज्य में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री खासकर लेयर विकास के लिए योजना स्वीकृत की गई थी। इस कार्यक्रम में तीन अलग-अलग उप-कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे प्रत्येक लाभार्थी को 500 पक्षियों की लेयर फार्मिंग, हैचरी के लिए अंडे की निर्भरता कम करने के लिए ग्रैंडपैरेंट फार्म की स्थापना और पेलेटेड फीड मिल प्लांट की स्थापना। कुछ मुद्दों के कारण, योजना अभी पूरी नहीं हो पाई है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹0 100.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

1.2 JHEEL (AA) - वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखण्ड में अंडा उत्पादन के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई। जिसका नाम है - Jharkhand Egg production for Enhancement in nutrition and Livelihood (JHEEL)। प्रस्ताव उच्च स्तर पर विचाराधीन है। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूह के लिए होने के कारण यह योजना आगामी 'अन्तराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष' के अनुकूल है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹0 12500.00 लाख बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

समेकित कुक्कुट विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि ₹0 12600.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

2. सहायता अनुदान कार्यक्रम- संस्थाओं के द्वारा केन्द्रीय योजना का संचालन/गौ रक्षण तथा निबंधित गौशाला को अनुदान की राशि उपलब्ध कराने, पशु कूरता तथा अवैध पशु तस्करी के रोक-थाम का कार्य करना मुख्य उद्देश्य है। पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न सरकारी संस्थान को कार्यों के संपादन के लिए सरकार स्तर से सहायता अनुदान दिया जाता है। पूर्व वर्षों के भांति वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों और संस्थाओं को नियमित गतिविधियों पर कार्य करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं विभागीय आदेश संख्या-1295 दिनांक-19.11.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष में राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अनुदान में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है।

2.1 झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी (JSIA) (AB) - झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, होटवार, राँची के द्वारा मवेशी, भैंस आदि के लिए कृत्रिम गर्भाधान, पाराभेट प्रशिक्षण एवं टीकाकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन सतत रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय - समय पर प्राप्त निदेशों के आलोक में भी कार्यों का संपादन किया जाता है। अतः उक्त कार्यों एवं स्थापना पर होने

वाले खर्च का भुगतान सहायता अनुदान की राशि से की जाती है। साथ-ही-साथ कार्यों के संपादन के लिए संविदा में नियुक्त कर्मियों का वेतनादि का मानदेय की भुगतान के लिए राशि दी जाती है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 450.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

2.2 झारखण्ड गो सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची का सुदृढ़ीकरण (08) - वर्तमान सरकार गो पशुओं के संरक्षण और कल्याण के लिए बेहद संवेदनशील है। गो पशुओं के संरक्षण और कल्याण के लिए झारखण्ड गो सेवा आयोग स्थापित किया गया है। झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम 2005 के तहत मनोनीत अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के वेतन, भत्ते और आयोग के कार्यालय को चलाने के लिए राशि प्रावधानित किया जाता है। साथ ही गो कल्याण हेतु कार्यकारी संस्था को अनुदान प्रदान करते हुए राज्य में गो कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किया जाता है। उक्त कार्य हेतु राशि सहायता अनुदान से प्रदान की जाती है। राज्य के सभी प्रमण्डों के 05 जिला मुख्यालयों में स्थापित की जाने वाली 05 गो मुक्ति धाम के सुलभ संचालन हेतु झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची के माध्यम से अनुदान के रूप में ₹० 50.00 लाख दिए जाने का प्रस्ताव है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 550.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

2.3 राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड (36) - राज्य सरकार ने राज्य में पशुओं के कल्याणार्थ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड की स्थापना की है। राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्रीय पशु कल्याण कानूनों को लागू करना है। प्रत्येक जिले में इस योजना के लिए अधिष्ठापित एवं निबंधित पशु आश्रय घरों को सहायता के लिए मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों एवं प्रत्येक जिलों में स्थापित जिला एस.पी.सी.ए./ DSPCA के लिए सहायता, राज्य जीव- -जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड की योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड को अपने कार्यों के संचालन में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए अनुदान में राशि उपलब्ध कराया जाता है। विभागीय संकल्प संख्या - 1295 दिनांक - 19.11.2025 एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अनुदान में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 900.00 लाख प्रस्तावित है।**

2.4 झारखण्ड पशुचिकित्सा परिषद्, राँची का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण (AS) - इस योजनान्तर्गत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के तहत झारखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् का गठन निम्न कार्यों हेतु किया गया है :

- पशु चिकित्सा पद्धतियों का विनियमन
- राज्य पशु चिकित्सा चिकित्सकों के रजिस्टर अद्यतन बनाए रखने हेतु
- पशु चिकित्सा पेशेवरों के लिए नैतिकता के पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और कोड मॉनिटर, एवं
- पेशेवर कौशल और ज्ञान का उन्नयन करने के लिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित थी। परन्तु पिछले 8 वर्षों से कोई केन्द्रीय अंश जारी नहीं किया गया है। यह पशुचिकित्सा के पंजीकरण एवं अन्य कार्यों के लिए राज्य में एक महत्वपूर्ण संस्था है। अतः वित्तीय सहायता हेतु इसे अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 50.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

2.5 पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन विश्वविद्यालय का स्थापना (33) - पशुचिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, रिसर्च आदि में गुणवत्ता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान समान्य योजना के तहत पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन विश्वविद्यालय का स्थापना का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिसके लिए अनुदान के तहत राशि प्रावधानित किया जाना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 2,000.00 लाख प्रस्तावित है। सहायता अनुदान सामान्य **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि ₹० 3,950.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

3. पशु एवं कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण (चारा, दवा एवं अन्य प्रबंधकीय व्यय हेतु) (37) :- पशु प्रक्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य पशु नस्लों का संरक्षण, विकास तथा नये प्रयोग के साथ गुणवत्तापूर्ण पशुधन उपलब्ध कराना है। इस शीर्ष के अंतर्गत, पशुपालन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पशु-पक्षी प्रक्षेत्रों और संस्थानों को अपने नियमित गतिविधियों पर अमल करने के लिए सुदृढीकरण की योजना है। प्रक्षेत्रों के माध्यम से सूकर छौनों, कुक्कुट छौनों, बकरा / भेंड़ छौनों, अण्डा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आदि का कार्य किया जाता है।

राजकीय (मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी) प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण एवं सुसज्जिकरण - राजकीय पशु प्रक्षेत्रों के माध्यम से जर्मप्लाज्म संरक्षण, पशु पक्षियों का वितरण एवं पशुपालकों हेतु कार्यक्रम पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर संचालित है। इन प्रक्षेत्रों को मुख्य उद्देश्य पशुओं हेतु चारा, विभिन्न उपकरणों (हाइड्रोपोनिक्स सहित) नए स्टॉक (जानवरों और पक्षियों) एवं अन्यान्य की जरूरत हेतु सामग्रियों का व्यवस्था योजना के माध्यम से किया जाना है। जिससे पशु प्रक्षेत्रों का उत्पादकता में वृद्धि हो और सरकार को अधिक-से-अधिक राजस्व प्राप्ति में सहयोग कर सके। उपरोक्त के द्वारा देशीय गौवंशीय पशुओं यथा रेड सिंधी आदि की जर्मप्लाज्म संरक्षण हेतु बाछियों को lab to field प्रक्रिया के तहत पशुपालकों के मध्य वितरण करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र वर्तमान में संचालित नहीं है। भारत सरकार के बर्ड फ्लू नियंत्रण से संबंधित Guidelines के अनुसार अब उक्त प्रक्षेत्र चालू होने की संभावना है। साथ ही सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र में सूकरों की संख्या बढ़ने के कारण उक्त प्रक्षेत्र के बजट उपबंध को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही प्रक्षेत्रों की मरम्मत आदि आवश्यक कार्य के लिए भी राशि का उपबंध किया जाना है। अतएव राशि प्रस्तावित है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 1000.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

4. राजकीय बेकन फैक्ट्री का सुदृढीकरण (84) - राज्य में पूर्व से स्थापित बेकन फैक्ट्री वर्तमान में संचालित नहीं है, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर इसका जीर्णोद्धार एवं संचालन हेतु परामर्शी के रूप में NMRI, Hyderabad का चयन किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बेकन फैक्ट्री के संचालन से संबंधित कार्रवाई प्रारम्भ होने की संभावना है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 300.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

5. पशु अस्पतालों, पेटक्लीनिक, रेफरल अस्पताल तथा पशु रोग नियंत्रण की योजना - इस योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था, टीकाकरण, बधियाकरण, शल्य चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान के बाद इस योजना के तहत स्थापित संस्थानों को सुदृढ किया जाना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित गतिविधि की जाती है:-

5.1 अस्पताल / औषधालयों, पॉलीक्लीनिक, रेफरल, पेट क्लीनिक, एवं मॉडल पशु अस्पताल का आधुनिकीकरण (24 & 47) -

राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित पशुचिकित्सालयों में पशु रोग जांच, टीकाकरण, पशु औषधियों के क्रय आदि आदि से संबंधित आवश्यक सेवा सुचारू रूप से संचालन एवं इसके अतिरिक्त शहरों में कुत्तों एवं अन्य पालतू पशुओं के लिए बेहतर उपचार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 7 जिलों में पेट क्लीनिक स्थापित किया गया, जिसे समय-समय पर आधुनिक उपकरण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही राज्य के सभी जिलों के पशु चिकित्सा अस्पतालों / रेफरल अस्पताल को आधुनिक सुविधा के साथ और छोटे और बड़े जानवरों में बेहतर उपचार, रोग परीक्षण और कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरणों की तरह बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने के लिए उत्क्रमित किए जाने की योजना है। मानव संसाधन की अल्पता के आलोक में आवश्यक मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त कार्यों हेतु बजट उपबंध की आवश्यकता है।

राज्य के 100 मॉडल पशु चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोग जाँच हेतु आधुनिक जांच मशीन, Digital X-ray Machine, हिमेटोलॉजी एनालाईजर, ऑटो एनालाईजर इत्यादि के साथ प्रयोगशाला का स्थापना तथा अन्य सुविधायुक्त पशुचिकित्सालयों को सुसज्जित करने की योजना है। पशुचिकित्सकों के सहयोग के लिए राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रशिक्षण देकर दैनिक मजदूरी पर पशुचिकित्सालयों में उनकी सेवा ली जाएगी। साथ ही इन मॉडल अस्पतालों के लिए आवश्यक (दवाओं, उपकरणों, फर्नीचर आदि) सामग्रियों को इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 3,200.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

5.2 राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित रेबीज और पुलोरम / रानीखेत एवं अन्य पशु बीमारी का क्रमबद्ध ढंग से नियंत्रण कार्यक्रम (A8 - योजना का मुख्य उद्देश्य, महत्वपूर्ण घातक जूनोटिक रोगों / पशुधन रोगों के नियंत्रण के लिए है। इस योजना के तहत संगठित और असंगठित कुक्कुट प्रक्षेत्रों में रैंडम सैंपलिंग द्वारा पक्षियों में पुलोरम बीमारी के लिए परीक्षण किया जाएगा। इसी तरह जिलों में इस योजना के तहत कुत्तों में रेबीज बीमारी से (प्री और पोस्ट बाइट टीकाकरण) एवं इसके नियंत्रण हेतु प्रसार कार्यक्रम संचालित किया जाना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 100.00 लाख प्रस्तावित है। अस्पताल एवं औषधालय **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 3,300.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

6. निदेशन एवं प्रशासन की योजना :-

6.1 सामान्य प्रशासनिक (A9) - निदेशालय के साथ-साथ क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप व्याप्त कमी का मूल्यांकन कर संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है।

पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, रांची के सुदृढीकरण हेतु कार्यक्रम - राज्य के लिए पशु टीकों के उत्पादन हेतु एक मात्र संस्थान पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए टीकावधि उत्पादन / क्रय का कार्य करना है। यह टीकों के उत्पादन और पशु रोग निदान हेतु राज्य स्तरीय संस्था है। रोग की पहचान और विभिन्न रोगजनक और संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए भी यह संस्थान समय-समय पर कदम उठाती है। इस योजना के तहत प्रयोगशाला का विकास, टीकावधि उत्पादन लागत प्राप्त किया जाना / कार्यालय के सुसज्जिकरण किया जाना है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 470.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

जनपादिक रोग (महामारी) विज्ञान एवं अनुश्रवण कोषांग का सुदृढीकरण (30) - पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान, काँके, रांची (विभिन्न बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल और मेटाबोलिक रोगों के प्रसार एवं प्रवृत्ति का राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग [NADRS]) हेतु संचालित है। महामारी विज्ञान के पैटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए राज्य नोडल केन्द्र के रूप में उपरोक्त वर्णित संस्थान काम कर रहा है। इस योजना के तहत इस तरह के आंकड़ों को दर्ज किए जाने एवं अन्यान्य संबंधित कार्य में शामिल कर्मियों को पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान में निदेशालय स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग कार्यरत है। कोषांग, विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर नजर रखने एवं प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु कार्यरत है। राज्य में दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन यानी राष्ट्रीय स्तर सूचक में परिवर्तन कल्पना / रिपोर्टिंग के लिए भी कार्य किए जाने की योजना है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस काम में शामिल कर्मियों, प्रखंड स्तर पर चयनित कर्मियों को इस योजना के माध्यम से पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाता है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 150.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण (प्रोजन सीमेन बैंक / हिमांकित वीर्य बैंक) (AH) - विभाग में संचालित वैसे केंद्र (120 कृत्रिम गर्भाधानकेन्द्र और 25 मिनी आईसीडीपी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र) जो JSIA को हस्तांतरित नहीं किया गया है, का

हिमांकित वीर्य बैंक की सुदृढीकरण योजना के माध्यम से संचालित किया जाना है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में फ़ोजन सीमेन बैंक का जीर्णोद्धार कार्य किया जाना है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 5.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

परामर्शी सेवाएं (32) - विभाग में संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत लाभुकों के बीच पशुओं के वितरण एवं योजना के प्रगति का अनुश्रवण हेतु निदेशालय अन्तर्गत कार्यरत् परामर्शी सेवा (PMU) के कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु बजट उपबंध की आवश्यकता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 75.00 लाख प्रस्तावित है। निदेशन तथा प्रशासन **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹० 700.00 लाख प्रस्तावित है।**

7. आधुनिक जाँच एवं अन्त्य परिक्षण प्रयोगशाला - सह - एम्बुलेंस सुविधा सहित (45)- पशुओं में फैल रहे विभिन्न तरह की बीमारियों जिसे बड़े पैमाने पर अचानक पशुधन की क्षति होती है, के रोक-थाम के लिए मृत पशुओं पोस्टमार्टम आवश्यक है। राज्य में अभी तक बड़े पैमाने पर आधुनिक उपकरणों के साथ प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों का जाँच नहीं हो पाती है और राज्य के पशुधन के बड़े पैमाने पर असमयक मृत्यु के कारणों से अवगत नहीं हो पाने के कारण रोक-थाम नहीं हो पाती है। उक्त कारण से प्रयोगशाला का निर्माण कराने का कार्य पर स्वीकृति दी गई है। जिसके संचालन के लिए अवशेष राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध कराया जाना है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 200.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

8. विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (86, 33 & 34) - पशुपालन के निर्धारित कार्यों को अच्छे तरीके से ससमय संपादन के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। प्रसार - प्रशिक्षण, पशुपालन गतिविधियों के साथ जुड़े किसानों और अधिकारियों के ज्ञान और कौशल के स्तर को उन्नत करने के लिए एक महत्वपूर्ण विद्या है। पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, कांके, रांची, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, संताल परगना क्षेत्र, दुमका तथा पशुपालन विद्यालय गौरियाकरमा, हजारीबाग केन्द्र के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। 12वीं पास शिक्षित बेरोजगारों को जो पशुचिकित्सा गतिविधियों में रुचि रखते हों, उन युवाओं को (प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक) राज्यों की अथवा देश के प्रसिद्ध संस्थान में पाराभेट / पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ-ही-साथ पशुचिकित्सक एवं कर्मियों को भी कार्य के अद्यतन जानकारी देने के लिए भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से जनसाधारण को अवगत कराने के लिए समय-समय पर सेमिनार / मेला / प्रदर्शनी का आयोजन अनिवार्य है। जिससे कि पशुपालकों, प्रजनक, उत्पादनकों आदि में उत्साह वर्धन हो सके और राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में अपना महत्व को समझ सके। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 500.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

9. आधारभूत संरचना का विकास (06, 11, 07, 28, 23 & 29) - राज्य के पशुपालन एवं पशुधन विकास, चिकित्सा आदि कार्य को संपादन करने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यालय तथा पशुचिकित्सालय स्थापित है, जिनमें से 25 पशुचिकित्सालयों का नव निर्माण एवं अन्य पशुचिकित्सालयों को सुदृढ़ किए जाने हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 1650.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में प्रक्षेत्रों में भी कई नवीन निर्माण की आवश्यकता है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि कुल 798.60 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

जीएमपी के तहत वैक्सिन उत्पादन के लिए पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान को मजबूत करने का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि कुल 150.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

निर्देशन तथा क्षेत्रीय प्रशासन अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार अवस्था वाले कार्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए **वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि कुल 400.00 लाख रुपये** की आवश्यकता होगी।

प्रसार एवं प्रशिक्षण अन्तर्गत पशुपालकों के प्रशिक्षण हेतु आधारभूत संरचना को उत्कृष्टित किये जाने की आवश्यकता है एवं नये भवन का भी निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए **वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि कुल 250.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में गो मुक्ति धाम की स्थापना हेतु 25.00 लाख रुपये बजट उपबंध किया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के पाँचों प्रमण्डलों में गो मुक्ति धाम का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कुल 25.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू० 3625.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

10. विशेष पशुचिकित्सा शिविर का आयोजन (AO) - पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर पशुओं में होने वाले बीमारी का इलाज, प्रचार-प्रसार एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दिया जाता है।

पशुओं में होने वाले बीमारी को ध्यान में रखते हुए विशेष कर पुरे राज्य में एक साथ पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाता है, जिसमें पशुओं में होने वाले बीमारी का इलाज, प्रचार-प्रसार एवं पशु स्वास्थ्य जानकारी दिया जाता है। उक्त कारण से वर्ष में सभी पंचायतों में 2 दिवसीय विशेष पशुचिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके अतिरिक्त एक बार एक दिवसीय प्रखण्ड स्तरीय शिविर का भी आयोजन प्रस्तावित है, जिसके लिए राशि उपबंधित की गई है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू० 650.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

11. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (बकरी / सूकर / भेंड़ / कुक्कुट ब्रॉयलर / लो इनपुट लेयर कुक्कुट वितरण की योजना / बत्तख चुजा वितरण की योजना) (99) - वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी किया जाना है। अतएव निर्धारित 75% / 90% अनुदान के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करते हुए योजना का संचालन किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषिक/पशुपालकों को आय का स्रोत उपलब्ध कराना तथा इनका आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराना है। यह योजना क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से संचालित होगी। इसके अन्तर्गत निम्नवत् योजनाएँ सम्मिलित हैं :-

11.1 बकरा विकास योजना - योजना का मुख्य उद्देश्य बकरा मांस उत्पादन में वृद्धि के साथ बकरी दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि करना है। योजना के कुशलतापूर्वक संचालन से किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत होता है। उक्त कारण से बकरा / बकरी प्रजनन इकाई के वितरण के तहत ब्लैक बंगाल नस्ल की 8 मादा एवं नर की इकाई (8 + 2) बीपीएल परिवार की महिलाओं / महिला स्वयं सहायता समूहों प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध कराया जाना है।

11.2 सूकर विकास योजना- पशुपालक इसके महत्त्व एवं इससे होने वाले गुणात्मक आय को समझते हुए सूकर पालन की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। फलतः इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इस योजना अन्तर्गत चार मादा एवं एक नर (4 + 1) टी एंड डी नस्ल अथवा अन्य विदेशी नस्लों के सूकर का वितरण योजना के तहत किया जाएगा। योजना का संचालन सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं साधन के माध्यम से किया जाएगा।

11.3 बैक्यार्ड कुक्कुट / लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन की योजना - राज्य के सभी जिला में आवश्यकता अनुसार Cluster आधारित बैक्यार्ड कुक्कुट पालन की योजना का संचालन किया जाएगा। जिसमें क्षेत्रान्तर्गत cage प्रबंधन के तहत क्रियान्वयन किया जाएगा। जिससे कुक्कुटों से कम आहार देकर अधिक अण्डा का उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना हेतु अच्छे गुणवत्ता वाले कुक्कुट नस्ल का चयन कर पालन किया जाएगा। जिसका औसत अण्डा उत्पादन 200 या उससे अधिक प्रति मुर्गी होगा।

11.4 ब्रायलर कुक्कुट पालन इकाई- कुक्कुट मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण पशुपालकों को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में ब्रायलर कुक्कुट पालन इकाई की वितरण की योजना है।

11.5 बत्तख चूजा वितरण की योजना- राज्य में अंडा और मांस के उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने के लिए एवं ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अनुपूरक आय उपलब्ध कराने के लिए 30 बत्तख चूजा प्रति लाभुक वितरण की योजना संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत लगभग उनतीस हजार नए परिवारों को बत्तख पालन योजना से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

11.6 भेंड़पालन की योजना - योजना का मुख्य उद्देश्य भेंड़ का मांस उत्पादन में वृद्धि के साथ ऊन उत्पादन में भी वृद्धि करना है। योजना के कुशलतापूर्वक संचालन से किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत होता है। उक्त कारण से भेंड़ / भेंड़ी प्रजनन इकाई के वितरण के तहत उत्तम नस्ल की 4 मादा एवं 1 नर भेंड़ की इकाई (4 + 1) बीपीएल परिवार की महिलाओं / महिला स्वयं सहायता समूहों को / असहाय विधवा औरतों को प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध कराया जाना है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 14,000.00 लाख प्रस्तावित है।**

11. 7 उद्धमी पशुपालकों की योजना- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत उद्धमी पशुपालकों की योजना संचालन किया जाना है, जिसके तहत राज्य में बड़े पैमाने बकरा-बकरी पालन एवं लेयर बर्ड पालन की योजना का संचालन किया जाना है, जो निम्नतः होगी :-

बकरा-बकरी पालन :- बड़े पैमाने पर बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति इकाई उन्नत नस्ल का (देशी नस्ल) 100 बकरी एवं 5 बकरा वितरण की योजना 75 प्रतिशत अनुदान पर संचालित कराया जाना है, जिससे कि राज्य में देशी बकरा मीट एवं बकरी दुग्ध का उत्पादन बड़े पैमाने पर कराई जा सके। यह पूर्णतः व्यवसायिक दृष्टिकोण से संचालित होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 3,000.00 लाख बजट उपबंध है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 17,000.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

12. जोड़ा बैल वितरण की योजना (AI)- राज्य के सुदुरवर्ती क्षेत्रों में अनुदान पर जोड़ा बैल वितरण की योजना है, जिससे कि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग हो सके तथा अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी संचालित किया जाना है। उक्त कारण से राशि प्रस्तावित है। सभी जिलों से प्राप्त सुझाव के अनुसार इस योजना के प्रति लाभुकों की रूची अधिक है। अतः योजना के प्रस्तावित राशि में वृद्धि का प्रस्ताव है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 500.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

1. राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (NLM) (AR, AP & AO) - पूर्व से भारत सरकार द्वारा नेशनल लाइवस्टॉक मिशन (NLM) अन्तर्गत पशुपालकों के आय के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार तथा पशुधन बीमा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से Poultry एवं अन्य Livestock पालन से संबंधित योजना NLM के दिशा-निर्देश के आलोक में कराया जाना है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी योजना का प्रस्ताव है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 116.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

2. पशुधन गणना एवं न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना (Livestock Census & Integrated Sample Survey under Animal Statistics) (AC, AM & AO) - इस योजना का उद्देश्य सर्वेक्षण द्वारा राज्य में दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाने का कार्य भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाता है। न्यादर्श सर्वेक्षण का कार्य जिला स्तर पर कराई जाती है। राज्य के प्रत्येक जिला में पूरे वर्ष में प्रत्येक जिला के लिए 80 गांवों का चयन Random Selection से किया जाता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं सर्वेक्षण भारत सरकार से प्राप्त मापदंड के अनुरूप मुख्यालय स्तर पर सांख्यिकी कोषांग द्वारा की जाती है। जिला एवं मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के पदों का अवधि विस्तार हेतु राशि प्रस्तावित है। वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर सांख्यिकी कर्मियों की कमी के कारण आँकड़ों को सही ढंग से संग्रह का कार्य विशेषज्ञ के देख-रेख में जिला के शिक्षित बेरोजगार युवकों के माध्यम से कराया जाता है, जिसके लिए प्रशिक्षण भत्ता, कार्यालय व्यय आँकड़ों का प्रकाशन आदि के लिए राशि की आवश्यकता पड़ती है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 905.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

3. LH & DC कार्यक्रम

i) LH & DC के तहत एस्कड (AG, AV & AU) - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजनान्तर्गत राज्य के पशुधन एवं कुक्कुटों को विभिन्न रोगों यथा सूकर ज्वर, लंगड़ी बुखार, गलाघोंटू, लम्पी स्कीन डिजिज, रानी खेत इत्यादि बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण कार्य किए जाते हैं। इस योजनान्तर्गत चार पशु रोग निदान प्रयोगशाला यथा दुमका हजारीबाग, पलामू एवं चाईबासा एवं राज्य स्तरीय निदान प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत पशुपालकों को पशुओं में टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। इसे आगे भी संचालित किया जाना है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 405.40 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

ii) LH & DC के तहत पशु अस्पताल एवं डिस्पेंसरी का स्थापना एवं सुदृढीकरण अन्तर्गत मोबाईल वेटेरीनरी यूनिट का संचालन (27) - भारत सरकार द्वारा पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में एक लाख पशुओं पर एक Mobile Veterinary Ambulance उपलब्ध करा रही है। अतः कुल 236 Mobile Veterinary Ambulance के संचालन हेतु राशि खर्च होनी है। भारत सरकार के निर्देश के आलोक में संचालन का कार्य राज्य सरकार के स्तर से होनी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राशि प्रस्तावित है। **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹० 4600.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**